भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *290

07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं

***290**. **श्री भोजराज नाग:**

श्री विनोद लखमशी चावड़ा:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेषकर कच्छ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित गुजरात तथा मध्य प्रदेश के सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित देश में वर्ष-वार और राज्य-वार कितने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (एबीएचए) सृजित किए गए हैं और उनमें कितनी वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) सरकार द्वारा कच्छ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 'आभा' पहचान पत्रों के पंजीकरण को बढ़ावा देने और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत कितने निजी अस्पताल पैनलबद्ध हैं और राजस्थान के भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कितने लाभार्थी हैं और उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित प्रदान किए गए लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 07 अगस्त, 2026 को लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 290 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (एबीएचए), आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का एक प्रमुख आधारभूत घटक है। यह विशिष्ट 14 अंकों की स्वास्थ्य पहचान संख्या है, जो नागरिकों को संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा पारितंत्र में अपने डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेखों तक सुरक्षित रूप से पहुँच प्राप्त करने तथा उनका प्रबंधन करने की सुविधा प्रदान करती है। दिनांक 31.07.2026 की स्थिति के अनुसार, देशभर में कुल 95.99 करोड़ एबीएचए बनाए जा चुके हैं, जिनमें से 5.25 करोड़ एबीएचए गुजरात राज्य में बनाए गए हैं। एबीएचए सृजन में वर्षवार वृद्धि का विवरण **अनुलग्नक-I** में है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तथा वर्षवार एबीएचए सृजन का विवरण **अनुलग्नक-II** में है।

एबीएचए के सृजन के समय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र संबंधी विवरण नहीं रखा जाता है। तथापि, दिनांक 31.07.2026 की स्थिति के अनुसार, गुजरात राज्य के कच्छ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कच्छ तथा मोरबी जिलों में क्रमशः 17.55 लाख तथा 8.48 लाख एबीएचए बनाए गए हैं। वहीं, मध्य प्रदेश राज्य के सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सीधी, सिंगरौली तथा शहडोल जिलों में क्रमशः 9.75 लाख, 9.16 लाख तथा 9.04 लाख एबीएचए बनाए गए हैं। गुजरात राज्य के कच्छ तथा मध्य प्रदेश राज्य के सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में एबीएचए सृजन की वर्षवार वृद्धि का विवरण **अनुलग्नक-III** में है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के समन्वय से कच्छ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एबीडीएम के अंगीकरण को बढ़ावा देने हेतु कई पहल की गई हैं। इनमें 'स्कैन एंड रजिस्टर' सेवाएं, स्वास्थ्य पेशेवरों, अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों तथा स्वास्थ्य सुविधा कर्मियों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण करना शामिल है, ताकि एबीएचए सृजन तथा एबीडीएम-सक्षम डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को अपनाने में सुविधा हो। इसके अलावा, कच्छ एवं मोरबी जिलों सहित अन्य जगहों पर जिला स्तरीय समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिनमें एबीएचए पंजीकरण प्रगति की निगरानी तथा क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों का समाधान किया जाता है। साथ ही, नागरिकों को एबीएचए तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के लाभों के प्रति जागरूक करने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) गतिविधियाँ भी संचालित की गई हैं।

आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को माध्यमिक एवं विशिष्ट स्तर के अस्पताल में भर्ती-उपचार हेतु प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज उपलब्ध कराया जाता है। राजस्थान राज्य में स्वास्थ्य लाभ पैकेज के अंतर्गत 38 चिकित्सा विशेषज्ञताओं में 2,179 उपचार प्रक्रियाएँ शामिल हैं, जिनका लाभ भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पैनलबद्ध अस्पताल सहित सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के पैनलबद्ध अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।
भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भीलवाड़ा एवं बूंदी नामक दो जिले सम्मिलित हैं। दिनांक 31.07.2026 की स्थिति के अनुसार, पैनलबद्ध निजी अस्पतालों, सृजित आयुष्मान कार्डों, अस्पताल में भर्ती की संख्या तथा अस्पताल में भर्ती-उपचार पर व्यय राशि का विवरण **अनुलग्नक-IV** में है।

अनुलग्नक-I

एबीएचए सृजन में वर्षवार संचयी वृद्धि

वित्त वर्ष	सृजित एबीएचए की संचयी संख्या
2021-2022	21,09,84,745
2022-2023	36,54,48,040
2023-2024	58,83,35,380
2024-2025	76,53,08,691
2025-2026	87,33,52,557
2026-2027 (दिनांक 31.07.2026 तक की स्थितिनुसार)	95,99,62,974

अनुलग्नक-II

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(संख्या) वर्ष-वार (संचयी)संघ राज्य क्षेत्रवार एबीएचए सृजन /राज्य					
	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027 (दिनांक 31.07.2026 की स्थितिनुसार)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4,18,224	4,23,464	4,40,724	4,52,420	4,67,517	4,75,177
आंध्र प्रदेश	2,19,10,444	3,79,12,979	4,12,21,788	4,44,48,144	4,92,04,946	5,04,19,457
अरुणाचल प्रदेश	1,98,125	2,21,813	3,45,592	4,08,183	5,59,722	6,51,151
असम	11,25,226	1,15,13,395	1,79,05,146	1,97,44,083	2,34,03,989	2,40,05,842
बिहार	1,66,63,230	1,75,29,769	3,33,39,272	4,54,32,804	6,25,15,683	6,56,98,279
चंडीगढ़	5,08,432	5,79,808	6,83,544	9,13,150	9,99,358	10,22,637
छत्तीसगढ़	1,26,63,524	1,46,44,144	2,03,93,794	2,28,99,547	2,55,14,747	2,62,62,010
दिल्ली	62,48,635	65,74,666	81,37,000	87,92,676	1,02,72,171	1,08,38,319
गोवा	3,28,210	3,82,418	8,13,425	8,89,894	9,73,856	10,08,245
गुजरात	1,01,93,292	1,92,46,711	4,41,42,342	4,75,18,060	5,03,53,451	5,23,95,774
हरियाणा	43,67,698	87,79,741	1,29,92,355	1,60,73,990	1,83,53,691	1,89,88,723
हिमाचल प्रदेश	19,56,061	21,26,294	58,58,911	61,35,289	64,28,480	67,07,228
जम्मू और कश्मीर	40,71,230	63,43,992	87,81,033	93,89,568	1,10,50,577	1,12,81,735
झारखंड	47,32,059	64,99,596	1,37,03,040	1,44,97,461	1,75,38,490	2,00,65,162
कर्नाटक	66,27,780	2,15,47,750	2,70,10,136	3,23,92,603	3,69,24,327	3,91,95,237
केरल	1,30,40,333	1,38,85,166	1,74,71,582	2,54,32,030	2,58,29,262	2,60,33,529
लद्दाख	2,88,528	3,20,521	3,71,305	3,88,047	4,09,647	4,19,541
लक्षद्वीप	67,070	69,095	1,01,421	1,05,001	1,07,603	1,08,897
मध्य प्रदेश	1,52,89,591	3,68,50,474	4,38,94,604	4,87,44,968	5,70,71,939	5,89,10,571
महाराष्ट्र	1,49,38,356	2,19,98,380	4,93,04,113	5,88,37,121	6,93,26,370	7,35,26,053
मणिपुर	4,58,900	5,39,985	8,50,013	10,31,629	12,71,570	15,98,741
मेघालय	1,22,153	2,33,492	9,46,318	13,22,225	15,26,673	15,97,113

मिजोरम	2,96,706	3,55,757	6,12,806	6,59,412	8,11,744	8,32,936
नागालैंड	2,52,984	4,13,586	6,48,898	7,40,049	8,50,865	9,25,972
ओडिशा	1,03,06,075	1,91,92,794	2,60,70,234	3,89,55,889	4,19,03,416	4,28,23,743
पुडुचेरी	8,54,893	8,87,450	11,05,967	11,57,449	12,09,120	12,37,229
पंजाब	50,43,368	56,22,515	1,21,73,223	1,39,69,136	1,69,51,717	1,80,17,255
राजस्थान	74,79,358	1,72,96,430	3,17,18,152	6,25,55,124	6,86,90,526	7,24,72,788
सिक्किम	2,95,904	3,24,196	4,03,513	4,38,335	4,64,740	4,83,811
तमिलनाडु	29,86,583	58,89,948	1,20,85,174	1,53,57,910	2,00,99,347	2,64,94,351
तेलंगाना	40,44,665	1,00,20,385	1,80,96,446	2,41,68,036	2,84,51,935	2,92,99,528
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	5,18,089	5,36,936	6,63,562	8,18,167	8,53,659	8,63,034
त्रिपुरा	3,84,330	5,01,593	14,95,569	23,43,945	31,96,582	32,49,322
उत्तर प्रदेश	1,95,77,312	3,25,93,423	8,16,44,966	13,21,52,845	14,95,92,275	15,57,87,914
उत्तराखंड	25,96,353	30,43,606	65,93,431	70,16,807	74,81,300	77,50,206
पश्चिम बंगाल	1,12,29,622	2,87,48,009	3,40,67,487	4,68,73,334	5,04,27,053	9,62,51,188

* सितंबर, 2023 से पूर्व सृजित 1.22 करोड़ एबीएचए से संबंधित आँकड़ों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है।

अनुलग्नक-III

राज्य	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र – जिला	एबीएचए सृजन (संचयी) – वित्त वर्ष-वार वृद्धि (संख्या)					
		2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027 (दिनांक 31.07.2026 की स्थितिनुसार)
गुजरात	मोरबी	1,45,194	2,99,886	7,13,509	7,54,698	7,99,208	8,48,197
	कच्छ	2,48,059	4,79,176	14,30,960	15,23,836	16,67,382	17,55,194
मध्य प्रदेश	शहडोल	2,54,429	6,05,209	7,03,204	7,62,599	8,78,813	9,04,204
	सीधी	1,83,740	5,84,030	7,27,693	8,07,868	9,45,929	9,75,267
	सिंगरौली	1,98,699	5,98,513	6,75,837	7,72,098	8,83,230	9,16,571

अनुलग्नक-IV

दिनांक 31.07.2026 तक की स्थिति के अनुसार पैनलबद्ध निजी अस्पतालों, सृजित आयुष्मान कार्डों, अस्पताल में भर्ती की संख्या तथा अस्पताल में भर्ती-उपचार पर व्यय राशि का विवरण

ज़िला	पैनलबद्ध निजी अस्पतालों की संख्या	सृजित आयुष्मान कार्डों की संख्या (लाख में)	अस्पताल में भर्ती की संख्या (लाख में)	अस्पतालों में भर्ती की राशि (करोड़ रुपये में)
भीलवाड़ा	20	7.47	5.10	529.50
बूंदी	5	3.59	2.52	260.00
